भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1169

उत्तर देने की तारीख-29/07/2026

कल्याणकारी योजनाओं की लेखापरीक्षा

1169 # **श्री रामजी लाल सुमन:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के लेखों की लंबे समय से लेखापरीक्षा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे लेखापरीक्षा के अभाव से कल्याणकारी योजनाओं तथा अन्य व्ययों के समन्वय, निगरानी एवं प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा क्या इसके परिणामस्वरूप सूचना संबंधी कोई कमी अथवा निरीक्षण में कोई त्रुटि उत्पन्न हुई है; और

(घ) मंत्रालय के लेखों की लेखापरीक्षा कब से नहीं की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक लेखाओं की नियमित आधार पर वार्षिक लेखा परीक्षा की जाती है। शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक लेखे अर्थात वार्षिक वित्त लेखे और विनियोजन लेखे जिसमें सभी कल्याणकारी योजनाओं के लेखे शामिल हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के बाद संसद में प्रस्तुत करने से पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा संपरीक्षित किए जाते हैं। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 तक के सभी लेखाओं की सीएंडएजी द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है और संसद में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लेखाओं की लेखा परीक्षा सीएंडएजी द्वारा की जा रही है और इसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

*****